



थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा शातिर चोर / गैंगस्टर एक्ट मे वांछित / 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आमिर गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को थाना नजीबाबाद के मु0अ0सं0 315/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 के वांछित व 15,000/रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आमिर पुत्र कल्लू नि0 मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को मालन नदी तिराहा से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का नाम-

1-अभि0 आमिर पुत्र कल्लू नि0 मौ0 मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद, बिजनौर

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 315/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना नजीबाबाद, बिजनौर

2-मु0अ0सं0 124/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद, बिजनौर

3-मु0अ0सं0 125/2021 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद, बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-श्री दिनेश गौड प्रभारी निरीक्षक 2- व0उ0नि0 श्री राजीव चौधरी 3- उ0नि0 श्री संदीप पंवार (चौकी प्रभारी साहनपुर) 4-है0का0 129 राजेश 5- का0 299 सोनू थाना नजीबाबाद, बिजनौर ।



थाना नजीबाबाद— आज दिनांक 01.07.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 308/2021 धारा 363/366/376(3) भादवि व ¾ (2) पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अभि0 गौरव पुत्र सन्तोष कुमार निवासी मौ0 भरतविहार कालौनी थाना को0शहर, बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नगीना देहात— आज दिनांक 01.07.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र प्रेम सिंह निवासी भवानीपुर थाना नगीना, जनपद बिजनौर को एक चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



थाना मण्डावर— आज दिनांक 01.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त चांद पुत्र रहमतुल्लाह निवासी ग्राम किशनवास थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर व अभियुक्त नजाकत पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम छकड़ा थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर को 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 29.06.2021 को थाना कोटद्वार जनपद पोढीगढवाल उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा जनपद बिजनौर से वांछित चल रहे हिस्ट्रीशीटर सहित 03 अभियुक्तगण (1) राकेश (2) सोमपाल (3) धीरज चौहान को 02 तमंचे 07 जिन्दा कारतूस, एक नाजायज चाकू व मोटर साईकिल प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट के साथ गूलर पुल (कोटद्वार) के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद बिजनौर के साथ उत्तराखण्ड के भी कई जिलो में अंजाम दे चुके है। अभियुक्त राकेश उपरोक्त थाना मण्डावली का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तथा थाना मण्डावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/21 धारा 392 भादवि में वांछित था तथा 15,000/रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था।

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा थाना मण्डावली की घटना के अतिरिक्त दिनांक 28.05.2021 को मोहल्ला आदर्श नगर कस्बा व थाना नजीबाबाद में सोने की चेन लूटी थी (जिसके सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 264/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया) तथा इसी दिन थाना धामपुर कस्बे में भी सोने की चेन लूटकर भाग गये थे (इसके सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 213/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया) गिरफ्तारी की सूचना पर जनपद बिजनौर से श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी व एसओजी टीम आदि कोटद्वार पहुँची तथा अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी।

अभियुक्तगण को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर जनपद में घटित अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जायेगी।

नाम पता अभियुक्तगणः—

- 1—राकेश पुत्र ठकरा सिंह नि० सादाबपुर गढी थाना बढापुर बिजनौर उ० प्र०
- 2—सोमपाल पुत्र कल्लू सिंह नि० जमालपुर थाना नहतौर जिला बिजनौर उ० प्र०
- 3—धीरज चौहान पुत्र हुकुम सिंह नि० ग्राम कलाली थाना नहतौर बिजनौर उ० प्र०

बरामदगी—

- 1—अभि० राकेश उपरोक्त के कब्जे से ०१ तमंचा व ०३ जिन्दा कारतूस नाजायज
- 2—अभि० सोमपाल उपरोक्त के कब्जे से ०१ तमंचा व ०२ जिन्दा कारतूस नाजायज
- 3—अभियुक्त धीरज उपरोक्त के कब्जे से ०२ जिन्दा कारतूस व ०१ चाकू नाजायज
- 4—एक प्लेटिना मोटर साईकिल बिना नम्बर

पंजीकृत अभियोग —

- 1—मु०अ०सं०— 132 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम राकेश कोतवाली कोटद्वार
- 2—मु०अ०सं०— 133 / 2021 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम सोमपाल कोतवाली कोटद्वार
- 3—मु०अ०सं०— 134 / 2021 धारा 3 / 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम धीरज कोतवाली कोटद्वार

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः—

अभियुक्त राकेश—

- 1—मु०अ०सं०— 316 / 21 धारा 392 भादवि चालानी थाना नजीबाबाद उत्तर प्रदेश
- 2—मु०अ०सं०— 114 / 21 धारा 392 भादवि चालानी थाना मण्डावली उत्तर प्रदेश
- 3—मु०अ०सं० 466 / 07 धारा 302 / 201 भादवि चालानी थाना बढापुर बिजनौर उ० प्र०
- 4—मु०अ०सं०— 113 / 13 भादवि 457 / 380 / 411 भादवि चालानी थाना कोटद्वार पौड़ी
- 5—मु०अ०सं०—134 / 13 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोटद्वार पौड़ी गढवाल
- 6—मु०अ०सं०—2 / 13 धारा— 457 / 380 भादवि चालानी थाना धुमाकोट पौड़ी
- 7—मु०अ०सं०—45 / 17 धारा 457 / 380 भादवि चालानी थाना सिडकुल हरिद्वार
- 8—मु०अ०सं०—48 / 17 धारा— 356 / 379 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार
- 9—मु०अ०सं०—46 / 17 धारा—457 / 380 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार
- 10—मु०अ०सं०—50 / 17 धारा— 41 / 102 सीआरपीसी व 411 / 412 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार
- 11—मु०अ०सं०—54 / 14 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना बढापुर बिजनौर उ० प्र०
- 12—मु०अ०सं०—108 / 17 धारा—2 / 3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिडकुल हरिद्वार

अभियुक्त सोमपालः—

- 1—मु०अ०सं०— 436 / 2016 धारा—3 / 5 / 8 गोवंश अधि० चालानी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर उ० प्र०